माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी रामदेव, गंगाराम, दुर्गाराम, ग्यारसी ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान मोहनसिंह, सालगराम तथा भू.अभि.निरीक्षक जायल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 2 कमश ग्यारसी का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः खेत खसरा नं. 972, 881, 850, 1145, 1114 मौजा गुजरियावास (जायल) व खसरा नं. 802 ग्राम जायल तहसील–जायल हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : आदेश : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नं. 972, 881, 850, 1145, 1114 मौजा गुजरियावास (जायल) व खसरा नं. 802 ग्राम जायल तहसील–जायल हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करते हुवे तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया

1. वादी रामदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 1145 रकबा 3.1161 हैक्टेयर सर्म्पूण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी गंगाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 850 रकबा 1.5945 हैक्टेयर सर्म्पूण, खसरा नंबर 881 रकबा 1.3274 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नंबर 1114 रकबा 1.5621 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. वादी दुर्गाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुजरियावास का खेत खसरा नंबर 972 रकबा 1.2869 हैक्टेयर सम्पूर्ण व मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 802 रकबा 3.0918 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/02/22

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner